उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-35/2020/1739/30-3-2020-70जीई/2017
लखनऊ दिनांक 30 जून 2020

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राजेश कुमार मौर्य, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी,वेतन बैण्ड-4 रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 7600/- (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- श्री राजेश कुमार मौर्य की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।

ह0/-
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-35/2020/1739(1)/तीस-3-2020,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ०प्र० लखनऊ।
(5) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।
(6) समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त उ०प्र०)।
(7) संबंधित अधिकारी।
(8) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ०प्र० के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(9) कार्मिक अनुभाग-1 ।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in